बिहार राज्य आवास बोर्ड

6, सरदारपटेलमार्ग, पटना – 800015

फोन – 0612-2217618, फैक्स -2217605, 2217986

वेबसाइट: www.bshb.bihar.gov.in

सं० / No IV / आ०पू०–883 / 07 5278 पटना, दिनांक– 28/12/23

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय– **बिहार राज्य आवास बोर्ड के सभी आवंटियों जिसके द्वारा आवंटित भूखंड / मकान / फ्लैट का एकरारनामा के बाद किस्त की राशि एकरारनामा के अनुसार जमा नहीं की गयी है, उन संपदाओं का एक मुश्त गणना हेतु प्रक्रिया निर्धारण हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार बिहार राज्य आवास बोर्ड के सभी आवंटियों जिसके द्वारा आवंटित भूखंड / मकान / फ्लैट का एकरारनामा के बाद किस्त की राशि एकरारनामा के अनुसार जमा नहीं की गयी है, उन संपदाओं का एक मुश्त गणना हेतु प्रक्रिया निर्धारण हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रचलित दो हिन्दीं, एक अंग्रेजी एवं एक उर्दु दैनिक समाचार पत्रों में (सम्पूर्ण बिहार) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

सचिव

27/12/23

E:\A.O.\Shanker\Gaurav

294

BIHAR STATE HOUSING BOARD
6, Sardar Patel Marg, Patna-15
Bihar government

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य आवास बोर्ड के आवंटित संपदाओं, जिसके आवंटियों द्वारा एकरारनामा निष्पादन के पश्चात् किस्तों का भुगतान एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया है, वैसे संपदाऐं एकरारनामा की कंडिका–23 एवं 23 (C) के तहत स्वतः रद्द हैं। स्वतः रद्दगी के कारण संपदाओं के विनियमितीकरण हेतु आवंटियों द्वारा अपने संपदाओं के पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया जाता रहा है।

बोर्ड के निदेशक पर्षद की दिनांक–02.02.2023 को आहुत 271वीं बैठक की अंगीकृत कार्यावली संख्या–16 में इस तरह के संपदाओं का बकाया एकमुश्त गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–3930, दिनांक–06.09.2022 को अनुमोदित किया गया। उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपदा का बकाया गणना बोर्ड द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित कीमत एवं वर्तमान MVR के आधार पर करते हुए उच्चतर गुणित राशि का संसूचन आवंटियों को किया जाना है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 24 संपदाओं का बकाया गणना संसूचन किया गया, जिसपर कतिपय आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

प्राप्त आपत्तियों के आलोक में उक्त गणना प्रक्रिया की समीक्षा की गई एवं पाया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित दर से किये गये गणना में आवंटी द्वारा जमा राशि को जमा की तिथि अनुसार कीमत पुँजीकृत करते हुए घटाया जाता है, जिससे आवंटी द्वारा जमा राशि का समायोजन उक्त तिथि को ही हो जाता है। जबकि वर्तमान MVR की दर से की गई गणना में आवंटी द्वारा जमा राशि पर इस का लाभ नहीं दिया जा रहा है एवं सीधे वर्तमान मुल्य में से उक्त राशि को घटाया जा रहा है, जिससे आवंटी द्वारा जमा राशि पर ब्याज भारित नहीं हो पाता है।

बोर्ड के निदेशक पर्षद की 272वीं बैठक दिनांक–28.07.2023 में यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त आपत्तियों के आलोक में उक्त गणना प्रक्रिया के क्रम में प्रभावित आवंटियों से सुझाव प्राप्त कर लिया जाय।

समीक्षोपरांत यह उचित प्रतीत होता है कि योजनान्तर्गत संपदा के विरूद्ध प्रभावी ब्याज दर से संपदा के पुनरीक्षित कीमत को अद्यतन किया जाता है, उसी दर से आवंटी द्वारा जमा राशि को अद्यतन पूंजीकृत कर संपदा (भूखंड/मकान/फ्लैट) के MVR दर से गुणित कीमत से घटाकर गणना किया जाय। उक्त पद्धति से एकमुश्त गणना कर उच्चतर गुणित राशि का संसूचन आवंटियों को तत्काल किये जाने एवं पूर्व में बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या–3930, दिनांक–06.09.2022 के आलोक में संसूचित गणनाओं को तद्नुसार संशोधित करने के साथ ही आवश्यकतानुसार, गणना हेतु पूर्व से तैयार Software में आवश्यक संशोधन किया जाना हैं।

अतएव, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे आवंटी जिन्होंने एकरारनामा पश्चात् अपने किस्तों का भुगतान एकरारनामा के अनुसार नहीं किया है, बोर्ड द्वारा निर्धारित एकमुश्त गणना प्रक्रिया के संबंध में अपना सुझाव, सुचना प्रकाशन के एक माह के अंदर बोर्ड के वेबसाईट–www.bshb.bihar.gov.in पर या संबंधित प्रमंडलीय कार्यालयों में समर्पित कर सकते हैं।

प्रबंध निदेशक
बि०रा०आ०बो०, पटना।

Pez

BIHAR STATE HOUSING BOARD

6, Sardar Patel Marg, Patna-15

Govt. of Bihar

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य आवास बोर्ड के आवंटित संपदाओं, जिसके आवंटियों द्वारा एकरारनामा निष्पादन के पश्चात् किस्तों का भुगतान एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया है, वैसे संपदाऐं एकरारनामा की कंडिका–23 एवं 23 (C) के तहत स्वतः रद्द हैं। स्वतः रद्दगी के कारण संपदाओं के विनियमितीकरण हेतु आवंटियों द्वारा अपने संपदाओं के पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया जाता रहा है।

बोर्ड के निदेशक पर्षद की दिनांक–02.02.2023 को आहुत 271वीं बैठक की अंगीकृत कार्यावली संख्या–16 में इस तरह के संपदाओं का बकाया एकमुश्त गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–3930, दिनांक–06.09.2022 को अनुमोदित किया गया। उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपदा का बकाया गणना बोर्ड द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित कीमत एवं वर्तमान MVR के आधार पर करते हुए उच्चतर गुणित राशि का संसूचन आवंटियों को किया जाना है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 24 संपदाओं का बकाया गणना संसूचन किया गया, जिसपर कतिपय आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

प्राप्त आपत्तियों के आलोक में उक्त गणना प्रक्रिया की समीक्षा की गई एवं पाया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित दर से किये गये गणना में आवंटी द्वारा जमा राशि को जमा की तिथि अनुसार कीमत पुँजीकृत करते हुए घटाया जाता है, जिससे आवंटी द्वारा जमा राशि का समायोजन उक्त तिथि को ही हो जाता है। जबकि वर्तमान MVR की दर से की गई गणना में आवंटी द्वारा जमा राशि पर इस का लाभ नहीं दिया जा रहा है एवं सीधे वर्तमान मुल्य में से उक्त राशि को घटाया जा रहा है, जिससे आवंटी द्वारा जमा राशि पर ब्याज भारित नहीं हो पाता है।

बोर्ड के निदेशक पर्षद की 272वीं बैठक दिनांक–28.07.2023 में यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त आपत्तियों के आलोक में उक्त गणना प्रक्रिया के क्रम में प्रभावित आवंटियों से सुझाव प्राप्त कर लिया जाय।

समीक्षोपरांत यह उचित प्रतीत होता है कि योजनान्तर्गत संपदा के विरूद्ध प्रभावी ब्याज दर से संपदा के पुनरीक्षित कीमत को अद्यतन किया जाता है, उसी दर से आवंटी द्वारा जमा राशि को अद्यतन पूंजीकृत कर संपदा (भूखंड / मकान / फ्लैट) के MVR दर से गुणित कीमत से घटाकर गणना किया जाय। उक्त पद्धति से एकमुश्त गणना कर उच्चतर गुणित राशि का संसूचन आवंटियों को तत्काल किये जाने एवं पूर्व में बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या–3930, दिनांक–06.09.2022 के आलोक में संसूचित गणनाओं को तदनुसार संशोधित करने के साथ ही आवश्यकतानुसार, गणना हेतु पूर्व से तैयार Software में आवश्यक संशोधन किया जाना हैं।

अतएव, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे आवंटी जिन्होंने एकरारनामा पश्चात् अपने किस्तों का भुगतान एकरारनामा के अनुसार नहीं किया है, बोर्ड द्वारा निर्धारित एकमुश्त गणना प्रक्रिया के संबंध में अपना सुझाव, सुचना प्रकाशन के एक माह के अंदर बोर्ड के वेबसाईट–www.bshb.bihar.gov.in पर या संबंधित प्रमंडलीय कार्यालयों में समर्पित कर सकते हैं।

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

प्रबंध निदेशक
बि०रा०आ०बो०, पटना

PR. No. 014368 (NI.NI) 2023-24